# क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
# जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 1157/ए.एफ-747/2023 दिनांक 01/09/2023

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली। ।

**विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–421/2023, भीकम्बर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–421/2023, भीकम्बर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1086/ओ.ए.–421/2023 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा ईट भट्ठा मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोठिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ का निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की गयी है:–

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–इगलास, जनपद अलीगढ़।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
3. जिला खान अधिकारी, अलीगढ़।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच99722/सी–4/विधि/एनजीटी नं.–453/2023 दिनांक 22.08.2023 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़ को मा0 एनजीटी का आदेश दिनांक 31/07/2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु नामित किया गया है।

उक्त समिति द्वारा ईट भट्ठा मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोठिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ का निरीक्षण दिनांक 24.08.2023 एवं दिनांक 28.08.2023 को किया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न है। जिलाधिकारी, अलीगढ़ के कार्यालय आदेश दिनांक 17.08.2023 के द्वारा गठित समिति के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आई0डी0: judicial-ngt@gov.in पर अपलोड किये जाने हेतु निर्दशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आई0डी0: judicial-ngt@gov.in के माध्यम से अपलोड की गयी है। संयुक्त निरीक्षण पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

**संलग्नक : संयुक्त निरीक्षण आख्या।**

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
2. उपजिलाधिकारी तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, बी–235, सेक्टर–19, नोएडा।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 31/07/2023 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या।**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 31/07/2023 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

1. Bheekambar Singh, resident of Gorai, Tehsil Iglas, District Aligarh has sent the present letter petition which has been treated and registered as Original Application complaining that Revati Balram Brick Kiln is being run at Tamotia, Gorai Road Beswa, Aligarh in violation of environmental norms. The Project Proponent is digging soil without permission and without payment of royalty. The consent to operate obtained from UPPCB has also expired but the brick kiln is being illegally run in violation of environmental norms causing serious risks to the health of the residents of the locality.
2. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Aligarh and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
3. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
4. List for further consideration on 15.09.2023.
5. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Member Secretary, State PCB and District Magistrate, Aligarh by e-mail for compliance.

1/3

उक्त जारी आदेश के अनुपालन में मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोठिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ में स्थित ईट भट्ठा की जांच किये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1086/ओ0ए0–421/2023 दिनांक 17/08/2023 **(छायाप्रति संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है)** के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की गयी है:–

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–इगलास, जनपद अलीगढ़।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
3. जिला खान अधिकारी, अलीगढ़।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच99722/सी–4/विधि/एनजीटी नं.–453/2023 दिनांक 22.08.2023 **(छायाप्रति संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है)** के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़ को मा0 एनजीटी का आदेश दिनांक 31/07/2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु नामित किया गया है।

मा0 एनजीटी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/07/2023 के अनुपालन में उक्त समिति के द्वारा ईट भट्ठा मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोठिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 24/08/2023 एवं दिनांक 28/08/2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे पर श्री मुरारी लाल शर्मा (मुनीम) उपस्थित थे। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री भीकम्बर सिंह निवासी–ग्राम–गोरई, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ से वार्ता की गयी। शिकायतकर्ता श्री भीकम्बर सिंह के पत्र दिनांक 28.09.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकायत किसी असामाजिक तत्व की हरकत है, मूल उत्तरदाता के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत उक्त भट्ठे के सम्बन्ध में नहीं की गयी है **(छायाप्रति संलग्नक–3 के रूप में संलग्न है)।** विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित पाया गया।
2. ईट भट्ठे के अक्षांश– 27.670113 व देशान्तर–77.865109 है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का आकार अण्डाकार पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी वृत्ताकार पायी गयी।
3. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल मानकों के अनुरूप नही पाये गये। निरीक्षण के समय खीचे गये फोटोग्राफ संलग्न हैं। **छायाप्रति संलग्नक–4 के रूप में संलग्न है।**
4. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठा वर्ष–2005 से स्थापित है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1955/एन.ओ.सी.–377/2005 दिनांक 25.11.2005 के द्वारा मै0 ओम ईट उद्योग, ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के नाम से स्थापनार्थ सहमति निर्गत की गयी है। व्यापारकर विभाग के द्वारा जारी पंजीकरण एवं टिन संख्या–09225208393 दिनांक 16/03/2011 की छायाप्रति संलग्न है, **छायाप्रति संलग्नक–5 के रूप में संलग्न है।**
5. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट का उत्पादन किया जाता है।
6. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
7. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
8. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले/तूरी का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में ईधन के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईट भट्ठे में ईधन के दहन से जनित उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।

9. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की ट्रेन्च में लगभग–7 लाख पक्की ईट भरी हुई पायी गयी तथा ईट भट्ठा परिसर में लगभग–10 लाख पक्की ईट भण्डारित पायी गयी।

10. उक्त ईट भट्ठे को वर्तमान में संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) प्रदान नही है।

11. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–253/2021 झम्मनलाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08/07/2022 के अनुसार जनपद–अलीगढ़ में जिग–जैग तकनीकी पद्धति पर स्थापित तथा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही ईट भट्ठा संचालित किये जायें।

12. उक्त ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच93860/सी–4/सा–II-755/का0ब0नो0/2023 दिनांक 19/05/2023 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित धारा–31ए के अन्तर्गत रू0 3,62,500/– के रूप में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का उल्लेख करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। कारण बताओ नोटिस की **छायाप्रति संलग्नक–6 के रूप में संलग्न है।**

13. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के द्वारा दिनांक 08/08/2023 को किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1084/एएस–747/2023 दिनांक 16/08/2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 19/05/2023 की पुष्टि करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी है।

14. उक्त ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच99946/सी–4/ईट–1256/बन्दी आदेश/2023 दिनांक 25/08/2023 के द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है, जोकि वर्तमान में प्रभावी है। बन्दी आदेश की **छायाप्रति संलग्नक–7 के रूप में संलग्न है।**

15 उक्त ईंट भट्टे को सहमति (जल/वायु) प्राप्त न होने के कारण ईंट भट्टा द्वारा वर्ष 2022–23 का विनियमन शुल्क जमा नहीं किया गया है।

उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(मयंक गोयल)
नायब तहसीलदार
तहसील–इगलास, अलीगढ़

(मनीष यादव)
खान अधिकारी,
अलीगढ़

(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़

(महिमा)
उपजिलाधिकारी–इगलास,
अलीगढ़।

313

संलग्नक - 1

# कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़

पत्रांकः 1086/OA No-421/2023 दिनांकः 17-8-23

## कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 का मुख्य अंश निम्नवत् है:–

1. Bheekambar Singh, resident of Gorai, Tehsil Iglas, District Aligarh has sent the present letter petition which has been treated and registered as Original Application complaining that Revati Balram Brick Kiln is being run at Tamotia, Gorai Road Beswa, Aligarh in violation of environmental norms. The Project Proponent is digging soil without permission and without payment of royalty. The consent to operate obtained from UPPCB has also expired but the brick kiln is being illegally run in violation of environmental norms causing serious risks to the health of the residents of the locality.
2. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Aligarh and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
3. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
4. List for further consideration on 15.09.2023.
5. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Member Secretary, State PCB and District Magistrate, Aligarh by e-mail for compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 में उल्लिखित उपरोक्त बिन्दुओं के अनुपालन हेतु मै0 रेवती बलराम ईंट उद्योग, ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण/जॉच किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है:–

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–इगलास, जनपद अलीगढ़।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
3. जिला खान अधिकारी, अलीगढ़।

उपरोक्त गठित समिति के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण 15 दिन के अन्दर कर अधोहस्ताक्षरी को निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने के साथ–साथ नियमानुसार समयान्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आई0डी0 judicial-ngt@gov.in पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. उप जिलाधिकारी, तहसील–इगलास, जनपद अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
4. जिला खान अधिकारी, अलीगढ़।

जिलाधिकारी, अलीगढ़।

संलग्नक-2

24/08/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक H99722 / सी–4 / विधि / एनजीटी न0–453 / 2023, दिनांक 22-8-23

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

**विषय :मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–421 / 2023 भीकम्बर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–421 / 2023 भीकम्बर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

*".....2. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Aligarh and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.*

*3. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

*4. List for further consideration on 15.09.2023."*

उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु डॉ0 जे0पी0 सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ (मो0 नं0–7839891773 ई–मेल–roaligarh@uppcb.in) को नामित किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेशो के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति हेतु प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन मे गठित समिति के साथ समन्वय स्थापित कर, निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करायें।
2. विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

सदस्य सचिव



AEE 24/8/23

JE Jel na 24-8-23

संलग्नक 3

सेवा में
श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
अलीगढ़

महोदय
सविनय निवेदन है कि मुझ उत्तरदाता के नाम से रेवती बलराम ईंट उद्योग टमोटिया गोरई रोड बेसवा (अलीगढ़) पर संचालित ईंट भट्टे के सम्बन्ध में की गयी शिकायत किसी असामाजिक तत्व की हरकत है। मुझ उत्तरदाता के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत उक्त भट्टे के सम्बन्ध में नहीं की गयी है।

दि० 28/8/2023

उत्तरदाता — [signature]
मै० कम्बर सिंह S/O
श्री छोटे सिंह
नि० गोरई (अलीगढ़
9413983290
7023404070

संलग्नक-4

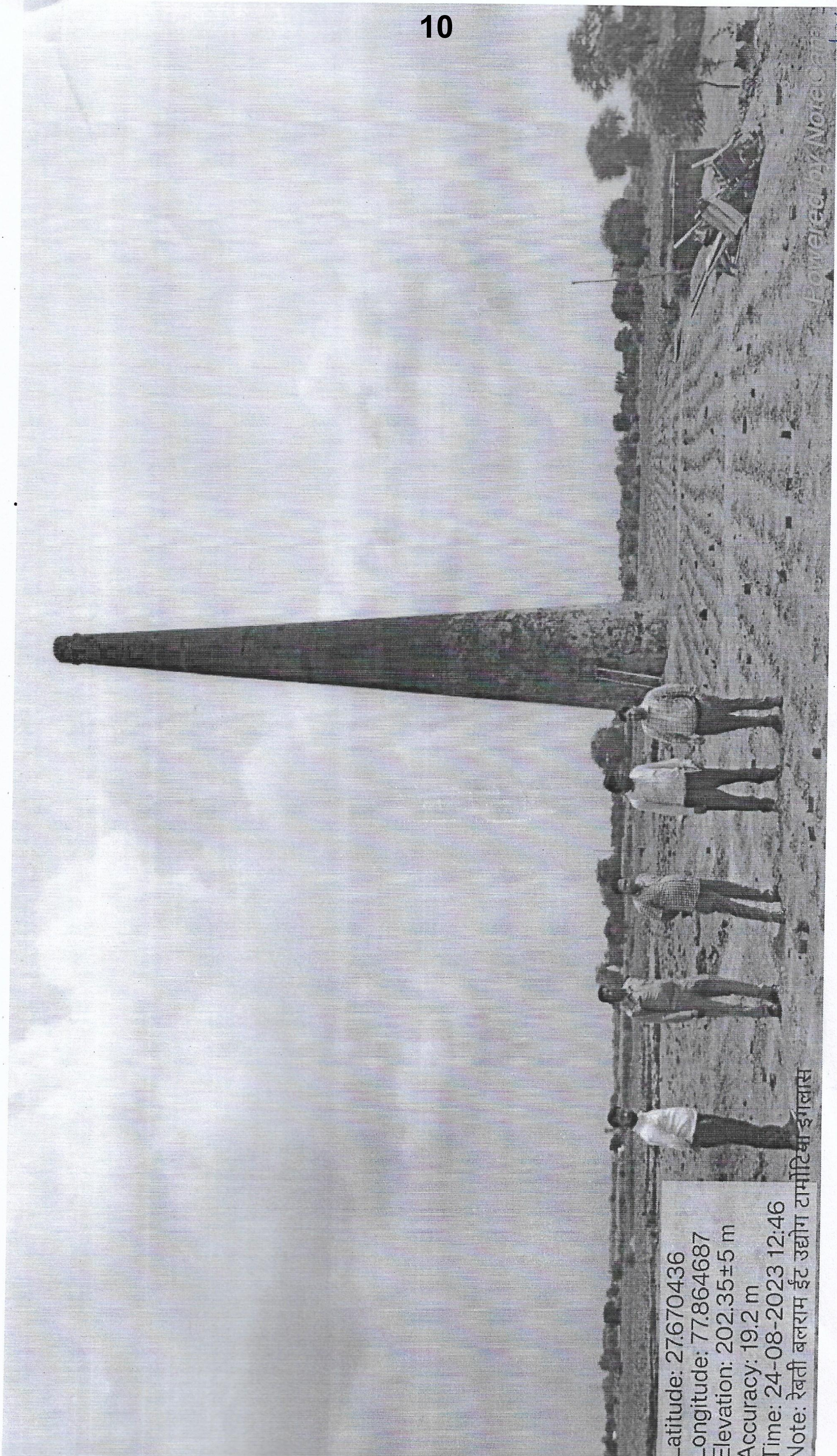
Latitude: 27.670436
Longitude: 77.864687
Elevation: 202.35±5 m
Accuracy: 19.2 m
Time: 24-08-2023 12:46
Note: रेवती बलराम ईंट उद्योग टामोटिया इगलास
Powered by NoteCam

संलग्नक-5

# UPVAT - XI

Department of Commercial Taxes, Government of Uttar Pradesh
[ See sub-rule (8) and (10) of Rule - 32 of the UPVAT Rules 2008 ]

## Certificate of Registration and Allotment of TIN

**09225208393**

**M/S BANKEY BIHARI ENT UDYOG** whose principal place of business is situated at TAMOTIA, **TEH.- IGLAS,ALIGARH,ALIGARH** located in Commercial Tax Circle/Sector **Aligarh (B) / Aligarh Sector-7, AC** subject to provisions of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act 2008 is hereby registered as a dealer and **09225208393** is allotted as its Taxpayer's Identification Number [TIN]. This Registration Certificate is valid with effect from **20-Dec-2010** till the business is discontinued.

| | |
|---|---|
| **Nature of Business** | WholeSaler, Retailer, Manufacturer |
| **Place of branches in U.P. & outside U.P.** | NIL |
| **Description of Trade/Commodity** | 1. Building bricks |
| **Prop./Partner/Director Name & Address** | 1. RAJVEER SINGH, VILL. BASAULI POST, NAGLA JAGDE[illegible] IGLAS,ALIGA<br>2. RAMVEER SINGH, VILL. USAR PUR [illegible]ARAPUR(JEEVAN [illegible]UR) TEH.- IGLAS |

**Place:** Aligarh
**Date:** 16-Mar-2011

Registering Authority
Signature and seal

विलानक-6

29/5

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्याः 1193860 / सी–4 / सा–II-755 / का0ब0नो0 / 2023,     दिनांक : 19-05-23

मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 श्री बांके बिहारी ईट उद्योग),
ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास,
जनपद–अलीगढ़।

यह कि मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 श्री बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 29.03.2023 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री अमी चन्द्र की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार ईंट भट्ठा नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित एवं संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बिना राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये स्थापित एवं संचालित पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा जिग–जैग टैक्नॉलोजी/हाई ड्राफ्ट पद्धति में परिवर्तित नहीं पाया गया। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अनुसार जनपद–अलीगढ़ में ईट भट्ठों का संचालन जिग–जैग टैक्नॉलाजी/हाई ड्राफ्ट पद्धति पर परिवर्तित करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा पत्र सं0–3372/एएस–747/2023, दिनांक 31.03.2023 के माध्यम से संदर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अंतर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईट भट्ठा मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 श्री बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैं :–

1. यह कि क्यों न मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 श्री बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वे मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 श्री बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के पत्रांक F.No.- B-31011/BMW/()/2019WMD-1/16314 दिनांक 08.02.2019 में की गई Methodology के अनुसार मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 श्री बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ के विरूद्ध दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 29.03.2023 तक रू0 12,500/– मात्र प्रतिदिन की दर से कुल 29 उल्लघंन दिवसों हेतु रू0 3,62,500/– (रूपया तीन लाख बासठ हजार पॉच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि करते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

AEE 30/5/23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित समयावधि में प्रश्नगत ईंट भट्ठे की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई-मेल: info@uppcb.com

TC.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com

संलग्नक-7

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक 1199146 /सी–4/ईट–1256/बन्दी आदेश/2023, दिनांक : 25.8.23

मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 श्री बांके बिहारी ईट उद्योग),
ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास,
जनपद–अलीगढ़।

यह कि मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 श्री बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 08.08.2023 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मुरारी लाल (चौकीदार) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार ईट भट्ठा नेचुरल ड्राफ्ट पद्धति में स्थापित पाया गया। संदर्भित ईट भट्टे को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 31.07.2021 के माध्यम से सहमति (जल/वायु) निर्गत की गई थी, जिसे क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0–1973 दिनांक 23.11.2022 के माध्यम से रिवोक किया गया। ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि की व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08.07.2022 को जनपद–अलीगढ़ में जिग–जैग/हाई ड्राफ्ट पर स्थापित एवं मानको के अनुरूप तथा नियमानुसार सहमति प्राप्त ईट भट्ठे ही संचालित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। संदर्भित ईट भट्ठे द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–1084/एस–747/2023, दिनांक 16.08.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में ईट भट्ठा मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 श्री बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 421/2023, भीकम्बर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 को दृष्टिगत रखते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.05.2023 की पुष्टि किये जाने तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत विधिक/अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईट भट्ठा मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 श्री बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 श्री बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 श्री बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त संदर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से अधिरोपित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रकरण राज्य बोर्ड में विचाराधीन है, जिसके सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ईंट भट्ठे की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि ईंट भट्ठे को उनके द्वारा ईंट पथाई एवं फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत ईट भट्ठे द्वारा संचालित ईट पथाई एवं फुंकाई कार्य को तत्काल रूकवाये जाने हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4